न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 705/2025

अपीलांट

1. आशाराम पुत्र लिखमाराम
2. काजल पुत्री लिखमाराम
3. कौशल्या पुत्री खेमाराम
4. गणपतलाल पुत्र मंगलाराम
5. गोपाराम पुत्र जेठाराम
6. टिंकी पत्नी लिखमाराम
7. नेमाराम पुत्र जेठाराम
8. बाया देवी पुत्री लिखमाराम
9. मनोज पुत्र देवाराम
10. माधाराम पुत्र जेठाराम
11. माधाराम दत्तक पुत्र दीपाराम
12. राजेश पुत्र खेमाराम
13. रितु पुत्री खेमाराम
14. लादुडी पुत्री लिखमाराम
15. श्रवण कुमार पुत्री जेठाराम
16. सुशीला पुत्री खेमाराम
17. सोहनलाल पुत्र देवाराम

(जातियान मेघवाल, निवासी ग्राम सिंधियों की ढाणी, माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर)

18. गोरधनराम पुत्र बाबुराम
19. जगदीश पुत्र मंगलाराम
20. देदाराम पुत्र भेराराम
21. धनाराम पुत्र भेराराम
22. नाथुराम पुत्र भेराराम
23. पेमाराम पुत्र मंगलाराम
24. भंवराराम पुत्र मंगलाराम
25. रूपाराम पुत्र बाबुराम
26. हीराराम पुत्र दीपाराम

(जातियान जाट, निवासी रामनगर, रामपुरा भाटियान, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर)

27. सोहनी देवी पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी सिंधियों की ढाणी, रामपुरा भाटियान, तहसील तिंवरी (जोधपुर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तिंवरी, जिला जोधपुर
2. मनोहरसिंह पुत्र हरिसिंह
3. यशवीरसिंह पुत्र नारायण सिंह
4. गिरधर गोपाल पुत्र हरिसिंह
5. रविन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह

(जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामपुरा भाटियान, तह0 तिंवरी, जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां आदेश दिनांक 27.08.2025 राजस्व प्रकरण नम्बर 185/2025 (आदेश क्रमांक: राजस्व/कोर्ट/243 दिनांक 27.08.25)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थिति –
1. श्री अशोक चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से
3. श्री रोशनलाल, वकील रेस्पो0सं0 2 से 5

निर्णय

दिनांक .03.2025

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी ओसियां के अपीलाधीन आदेश क्रमांक 243 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा तहसीलदार तिंवरी के पत्र क्रमांक 1640 दिनांक 26.08.2025 से प्रस्तावित राजस्व ग्राम सिंधियों की ढाणी के ख0नं0 409, 413 एवं रामनगर के ख0नं0 396 की भूमि में से रास्ते के रूप में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 409, 413 व 396 की भूमि में से आदेश में उल्लेखित रकबा भूमि (लगभग 7.5 बीघा) को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जबकि इन्हीं खसरान की भूमि में पूर्व से ही कटाणी मार्ग चला आ रहा है। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस एवं जवाब व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया और न ही उनसे किसी प्रकार की सहमति ली गई। इसलिए अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अपीलाधीन आदेश तथाकथित रूप से ग्राम सिंधियों की ढाणी तथा रामनगर में मुख्य सड़क (जोधपुर–ओसियां) से उजलिया तक चल रहे कदीमी रास्ते का पारित किया गया है, जबकि इसके लिए वक्त सेटलमेंट से कटाणी रास्ता पूर्व से ही अपीलांट के खसरान में मौजूद व मौके पर चालू है। जिसे तोड़–मरोड़ कर तथाकथित कदीमी रास्ते के रूप में नवीन रास्ता प्रस्तावित कर व्यक्ति/परिवार विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शें से स्पष्टतः प्रतीत है। प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शें में प्रदर्शित है कि मुख्य सड़क (जोधपुर

–ओसियां) से उजालिया तक वक्त सेटलमेंट से चल रहे सरकारी रास्ते को ही बिन्दु संख्या A से B, B से C, तथा C से D तक निजि हितों को साधने के लिए मूर्त रूप दिया गया है। जिसमें बिन्दु संख्या A से B तक तथाकथित कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 409 व खसरा नम्बर 413 में चल रहे सेटलमेंट के रास्ते के बावजूद, इन्ही खसरान में सेटलमेंट के रास्ते के सामने वाली दिशा में समानान्तर नवीन रूप से काटा गया है, जो व्यक्ति/परिवार विशेष की भूमि/घरों तक पहुंच दर्शाता है। बिन्दु सं0 B से C तक के रास्ते को वक्त सेटलमेंट के रास्ते में मिलाया जाकर यथावत रखा गया है तथा C से D तक का रास्ता पुनः व्यक्ति/परिवार विशेष की भूमि/घरों तक पहुंच दर्शाते हुए वही समाप्त हो जाता है। जबकि बिन्दु संख्या C से होते हुए वक्त सेटलमेंट का रास्ता ग्राम उजलिया तक जाता है। उक्त कटाणी रास्ता सरकारी खाते में ख0नं0 414, 399/1 व 399/2 दर्ज है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नक्शें में बिन्दु संख्या B से C तक तथा C से आगे का मार्ग ग्राम उजलिया तक सुगम सरकारी मार्ग है। जो मौके पर प्रचलित व मौजूद है, परंतु व्यक्तिगत हितों एवं परिवार विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, वक्त सेटलमेंट के इस मार्ग के शेष भाग को अप्रचलित होना बताते हुए अपीलाधीन खसरान में मिथ्या रूप से नवीन कदिमी मार्ग बताया जा रहा है। नक्शें में आजू–बाजू के अन्य खसरानों में भी वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। तथापि यदि किसी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता है तो, उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 251 क में प्रावधान उपलब्ध है। अपीलाधीन कार्यवाही द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 एवं 30.9.21 की मंशाओं के विपरित खातेदारी भूमि में से जबरन व मिथ्या तथ्यों के आधार रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि विधिसम्मत नही है।

प्रकरण में दिनांक 4.9.25 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के जरिये संयोजित पक्षकार–रेस्पो0 मनोहरसिंह वगैरा के खेत खसरा नम्बरान प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा नम्बरान से भिन्न है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान अन्य खातेदारान के है। जिनके खसरान के लिए भी आवागमन हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक मार्ग मौजूद है। मात्र न्यायिक प्रकिया को प्रभावित करने के उद्धेश्य से प्रार्थी द्वारा दूसरों के खसरा नम्बर को अपना बताकर पैरवी की जा रही है।

वकील अपीलांट द्वारा यह भी आग्रह किया कि खसरा नम्बर 409 रकबा करीब 18 बीघा भौगोलिक रूप लम्बवत है। उक्त खसरान के एक तरफ वक्त सेटलमेंट का रास्ता मौजूद है तथा दूसरी तरफ तथाकथित कदीमी मार्ग बताते हुए नवीन रास्ता काट दिया गया है, जबकि मौके पर कोई कदीमी रास्ता मौजूद नही है। इस खसरान में से मुख्य सड़क (जोधपुर–ओसियां) चल रही है, नजरी नक्शें में इसका जुड़ाव बिन्दु सं0 A से दर्शाया गया है, जिसके निकट व सामने की दिशा में इसके समानान्तर वक्त सेटलमेंट का सरकारी मार्ग मौजूद है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश से इस खसरान में दो मार्ग कायम हो जाने से यह कृषि योग्य नही रहा। इससे महिला खातेदार की आजिविका प्रभावित होने के साथ–साथ अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

आलौच्य प्रकरण में येनकेन प्रकारेण रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया गया है। जिनमें दिनांक 26.8.25 को उक्त प्रार्थना पत्र को लेकर दिनांक 6.8.25 को डिस्पेच करना एवं पश्चातवर्ती दिनांक 8.8.25 को रिपोर्ट प्राप्त कर इसे तहसीलदार तिंवरी के पत्रांक 1640 दिनांक 26.8.25 द्वारा डिस्पेच करना दर्शाया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.25 को पारित कर दिया गया। इस प्रकार प्रकरण में रास्ते का प्रार्थना पत्र को पूर्ववर्ती तारिखों में लेकर औपचारिक रूप से मौका रिपोर्ट व प्रस्ताव तैयार इन खसरों में जहां पूर्व से सरकारी मार्ग विद्यमान है, उनके समानान्तर दूसरी दिशा में मार्ग स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार एक ही खसरे में दो–दो कटाणी मार्ग स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही है। इससे संबंधित खातेदारान की लगभग 25 बीघा कृषि भूमि, कृषि कार्यो से गवानी पड़ रही है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं न्यायोचित नही होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त प्रस्ताव ग्रामवासीयों के आवेदन पर राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच कर मौका फर्द दिनांक 8.8.25 के अनुसार ग्राम सिंधियों की ढाणी तथा ग्राम रामनगर में मुख्य सड़क (जोधपुर–ओसियां) से चल रहे कदिमी रास्ते उजलिया तक को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों ने उक्त रास्ता 40 वर्षो से चलने व पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा इस पर ग्रेवल का काम

करवाना बताया गया है। अपीलार्थीगण के खसरों में दर्शाये गये, इससे भिन्न रास्ता मौके पर अस्तित्व में नही है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

अपीलाधीन आदेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित किया गया है। जो संबंधित खसरानों को मुख्य सड़क से जोडता है। मौके पर रास्ता चालू है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त आदेश रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16, 30.9.21 एवं 4.4.25 द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है तथा सडक निर्माण का कार्य जो0वि0प्रा0 के स्तर पर प्रस्तावित है। प्रकरण में न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 09.09.2025 के कारण सड़क निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही तहसीलदार तिंवरी के प्रस्ताव कमांकः 1640 दिनांक 26.08.25 पर करते हुए, एक ही दिन उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.25 को पारित कर दिया गया, जो विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरित है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट है कि आलौच्य प्रकरण में वादग्रस्त खसरान के खातेदारान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अथवा उनकी सहमति के बिना सीधे ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.25 पारित कर दिया गया।
3. मौका फर्द दिनांक 08.08.2025 व उसके संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रस्तावित रास्तों के ख0नं0 409 व 413 ग्राम सिंधियों की ढाणी तथा

ख0नं0 396 ग्राम रामनगर में वक्त सेटलमेंट से कदामी रास्ता मौजूद है। इस प्रकार किसी भी एक खसरे में दो-दो रास्ते, किसी सूरत में न्याय संगत प्रतीत नही है।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रकट तथ्य कि अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में नवीन रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है तथा सडक निर्माण का कार्य जो0वि0प्रा0 के स्तर पर प्रस्तावित है। प्रकरण में न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 09.09.2025 के कारण सड़क निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है। उक्त क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण वक्त सेटलमेंट सरकारी खाते में दर्ज ख0नं0 414, 399/1 व 399/2 के गै0मु0रास्ते की भूमि पर नियमानुसार सडक निर्माण अथवा विकास कार्य करवाने हेतु स्वतंत्र है।

5. आलौच्य प्रकरण में प्रकट पेचीदगीयों एवं उभय पक्ष की तार्किदियों को देखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु न्यायालय हाजा के स्तर से तहसीलदार तिंवरी से प्रस्ताव में उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। उक्त कम में तहसीलदार तिंवरी के पत्रांक 176 दिनांक 19.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 8 में यह उल्लेखित है कि भू.अ.नि. मथानिया एवं हल्का पटवारी रामपुरा भाटियान की रिपोर्ट दिनांक 16.02.26 अनुसार वर्तमान में उक्त रास्ता आंशिक रूप से मौके पर चालू पाया गया, उक्त तथ्य प्रस्ताव/अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध स्वीकारोक्ति प्रकट करता है।

6. अपीलाधीन आदेश तथाकथित रूप से ग्राम सिंधियों की ढाणी तथा रामनगर के ख0नं0 409, 413 व 396 में से मुख्य सड़क (जोधपुर–ओसिया) से उजलिया तक चल रहे कदीमी रास्ते का पारित किया गया है। जबकि उक्त खसरान में वक्त सेटलमेंट से सरकारी रास्ता मौजूद है। प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तावित मार्ग के नजरी नक्शें के अनुसार इसी मार्ग को तोड–मरोडकर बिन्दु संख्या A से B, B से C, तथा C से D तक नया मूर्त रूप दिया गया है। जिसमें बिन्दु संख्या A से B तक तथाकथित कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 409 व खसरा नम्बर 413 में चल रहे सेटलमेंट के रास्ते के बावजूद इन्ही खसरान के सामने वाली दिशा में समानान्तर रूप से काटा गया है, जो व्यक्ति/परिवार विशेष की भूमि/घरों तक पहुंच दर्शाता है। B से C तक के रास्ता को वक्त सेटलमेंट के रास्ते में मिलाया जाकर यथावत रखा गया है तथा C

से D तक का रास्ता पुनः व्यक्ति/परिवार विशेष के घरों तक पहुंच दर्शाते हुए वही समाप्त हो जाता है।

7. इस प्रकार अपीलाधीन आदेश राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16, 30.9.21 एवं 4.4.25 की मंशाओं के सर्वथा विपरित है।

8. उक्त स्थिति में अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान में पूर्व से ही वक्त सेटलमेंट से उपलब्ध व राजस्व रेकर्ड में दर्ज सरकारी रास्ते को देखते हुए, उसी खसरान में बिना संबंधित खातेदारान की सुनवाई/सहमति के विधिविरूद्ध प्रस्तावित तथाकथित नवीन रास्ते को कायम रखा जाना किसी भी सूरत में न्यायोचित नही समझा गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तदनुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 185/2025 बअनवान सरकार बनाम सोहनी देवी वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राजस्व/कोर्ट/243 दिनांक 27.08.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त आदेश की पालना में गै0मु0रास्ते के नामान्तरण संख्या 497 एवं 1145 स्वीकृत दिनांक 29.08.25 निरस्त किए जाते है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, वक्त सेटलमेंट सरकारी खाते में दर्ज गै0मु0रास्ते की भूमि पर नियमानुसार सडक निर्माण अथवा विकास कार्य करवाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 16-3-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

16/3/26.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर